

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

स्वीकृत हुआ है कि यह दस्तावेज
अभिलेखित है
दिनांक १०/०८/१८

12/08/18
५/१/१८

जानकारी/सह-हस्ताक्षर
मा. विभाग द्वारा जारी
गाम नं. १, बड़गाँव, सिवान
Z 232079

0.04.

1. Agreement No. : 04 SBD / 2018-19
2. Estimated Cost Rs. : 79,79,841.00
3. Agreement Amount Rs. : 79,79,840.00
- (i) Construction Cost Rs. : 78,38,202.00
- (ii) Maintenance Cost. : 1,41,638.00
4. Performance Securities Rs. :

A sin the shade of NSC/KVP/BG

5. Date of Commencement of Work : 10.08.18

6. Date of Completion of Work : 09.05.19

This agreement made the 10th day of August 2019

Between Executive Engineer, RWD, Works Division Gopalganj-2 of the one part,
and Mis Anjishu Construction, Vill. - Hasua, Po - Nautan
Dist. - Siwan On other part.

Anjishu Construction

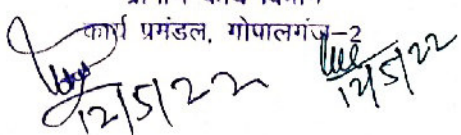
Anjishu Construction

P. S. 10/08/18

10/08/18

Executive Engineer
R.W.D. W.D.
Gopalganj-2

10/08/18



**मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-10-149/21

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सिवान

विषय:- शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 02 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक- 308 अनु0 दिनांक-23.04.2022, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक-28.08.2018 तथा अभियंता प्रमुख का पत्रांक-1020 अनु0 एवं पत्रांक-1022 दिनांक-18.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निर्देश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	A.A Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintenance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (As per Agmt. Rate)	FDR Amount (in lakh) (As per Agmt. Rate)
1.		T01 Khaira Azam To Koiri Tola Tak (VR31) (Package NO.-BR-13R-209)	1.428	3803/25.05.2017	81.551	94.67	14.91
2.	Gopalganj-2	L027 Dighwa Dubali PHD Se Kahuatti Daya Giri Ke Tola (VR52) (Package NO.-BR-13R-208)	1.548	3803/25.05.2017	94.521	104.97	16.14

- निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं मूल निरूपण सम्बंधित सारा आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद्द की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद्द का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।

8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
 9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

ज्ञापांक:- 1867

पटना, दिनांक:- 25-4-22

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना